छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 200 प्रकरण क्रमांक– **SM-EXP-2023-02066**

आवेदक : छ.ग. रेरा विरूद्ध ''किंग्सटाउन'', प्रमोटर–नवभारत ड्वेलिंग प्रा.लि., द्वारा–श्री रोहित श्रीवास्तव, पता–नवभारत उद्योग भवन, रिंग रोड नं.–1, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''किंग्सटाउन'', पता–कान्दुल, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/02/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक द्वारा प्रतिनिधि श्री रोहित श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा मौखिक रूप से निवेदन किया गया कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विस्तारण हेतु आवेदन पेश किया जा चुका है। नवीनीकृत कॉलोनाईजर प्रस्तुत करना शेष था, उसे दिनाँक 23.02.2024 को पेश किया गया है। प्रोजेक्ट विस्तारण हेतु कार्यालयीन कार्यवाही प्रचलित है। स्टॉफ ऑफिसर रेरा के टीपांकन दिनाँक 24.02.2024 के अनुसार ''नवीनीकृत कॉलोनाईजर दिनाँक 23.02.2024 को प्रस्तुत कर दिये हैं।'' लेख किया है। अतएव अनावेदक के कथन की पुष्टि होती है। अनावेदक के विरूद्ध राशि रूपये 2,000/– (अक्षरी राशि–दो हजार रूपये मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। एक माह के भीतर निर्धारित शासकीय मद में जमा करना सुनिश्चित करे। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो चेतावनी दी जाती है। आदेश प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जावे। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	